अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी (नागौर)

मुकदमा नं.....

T.L. 61/09 RCMS 2009/00028 रामलाल/हेमराज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम की जो हुक्म की तामील में जारी हुए
9/6/2022	पत्रावली पेश हुई/आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी न्यायालय/अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 20/6/2022 को पेश हो।	
20/6/2022	पत्रावली पर उप पंजीयक द्वारा प्रार्थना पत्र R.T.A. पर सभी पक्षकारान अधिवक्ताओं को सुनकर एवं बहसी प्रदान पर पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का ना फैसला तक पुष्टा किये जाने का निवेदन किया। जिसके विचार आगे नहीं बढ़ा। अतः अब पक्षकारान अधिवक्तागण का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 03-09-2009 को ना फैसला तक पुष्टा की जाती है। पत्रावली बिना श्रम बेकार करकर है अतः बेकार अभिलेखागार हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।	

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)